मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 220/CE /एस0ई0/15 दिनांक: 16-02-15

::–कार्यालय आदेश–::

मेरठ विकास प्राधिकरण में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यो हेतु आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं हेतु पूर्व प्रचलित बिडिंग डाक्यूमेन्ट में संशोधन करते हुए उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13–02–2015 को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई है:–

1– निविदा की धरोहर राशि 2 प्रतिशत एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में ली जायेगी।

2– निविदा स्वीकृति उपरान्त असफल निविदादाता की धरोहर राशि निविदा की वैलेडिटी पिरीयड (90 दिन) समाप्ति के 28 दिनों के अन्दर वापिस कर दी जायेगी।

3– निविदा स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को अनुबन्ध निष्पादित करने से पूर्व टी–1 (सिंगल बिड) के कार्यो हेतु 10 प्रतिशत धनराशि की एवं टी–2 (टू–बिड) के कार्यो हेतु 5 प्रतिशत धनराशि की टेलिस्कोपिक रूप में (रू0 40.00 लाख तक 10 प्रतिशत यानि रू0 4.00 लाख शेष धनराशि पर 5 प्रतिशत) परर्फोमेन्स सिक्योरिटी की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 अथवा शिडयूल कॉमर्शियल बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी जमा कराने के पश्चात उसकी धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी।

4– कार्यो के प्रत्येक बिल में से 5 प्रतिशत की रिटेनिंग सिक्योरिटी काटी जायेगी।

5– कार्य समाप्ति पर अन्तिम देयक के साथ आधी रिटेनिंग सिक्योरिटी ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।

6– अवशेष आधी रिटेनिग सिक्योरिटी व परफोरमेन्स सिक्योरिटी कार्य समाप्ति के एक वर्ष या डिफैक्ट लाईबिलिटी पीरयड के समाप्त होने व कार्य के सन्तोषजनक होने पर वापस की जायेगी।

7– निविदत्त दरें बिड की दरों से 10 प्रतिशत निम्न होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत से अधिक निम्न होने की दशा में टेलिस्कोपिक रूप में 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त परर्फोमेन्स सिक्योरिटी जमा करनी अनिवार्य होगी जो कि अन्तिम देयक के साथ अवमुक्त की जायेगी।

8– अनुबन्ध निष्पादन हेतु जी0पी0डब्लू0–9 के स्थान पर लोक निर्माण विभाग में प्रचलित बिडिंग डाक्यूमेन्ट टी–1 व टी–2 लागू होगा एवं टू–बिड पद्धति पर आमन्त्रित निविदाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

अतः प्राधिकरण में भी लोक निर्माण विभाग में प्रचलित बिडिंग डाक्यूमेन्ट टी–1 व टी–2 लागू करने, टू–बिड पद्धति पर आमन्त्रित निविदाओं हेतु टी–2 के अनुसार प्राधिकरण में पूर्व निर्धारित सीमा रू0 25.00 लाख को रू0 40.00 लाख किये जाने तथा निविदाओं में पूर्व प्रचलित धरोहर राशि व जमानत राशि में उपरोक्त बिन्दु सं0 01 से 08 के अनुसार संशोधन करते हुए कियान्वयन किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

अधीक्षण अभियन्ता,

प्रतिलिपि,

1–उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2–सचिव महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।

3–मुख्य अभियन्ता महोदय को उनके आदेशों के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

4–अधिशासी अभियन्ता/योजना प्रभारी को अनुपालनार्थ।

5–अवर अभियन्ता तकनीकी को अनुपालनार्थ।

6–श्री शरद श्रीवास्तव, कम्पयूटर प्रोग्रामर, को प्राधिकरण की वैबसाईड पर डालने हेतु।

16/2

अधीक्षण अभियन्ता,